जोध सिंह बनाम जसकरण सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 53,88,92ए,209 आर.टी.एक्ट
जीसीएमएस आईडी : 2018 / 00233

प्र.सं. 76 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
09.01.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में वादी की ओर से दिनांक 08.06.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1–151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया गया था कि वादी तकनीकी खामी के कारण मूल वाद को पुनः पेश करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद विद्ड्रा करना चाहता हैं, प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद जरिये विदड्रा करने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया। जिस पर बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2022 को आदेश पारित किया कि वादी द्वारा इस वाद के विड्रा करने से पहले ही नया वाद न्यायालय में पेश कर दिया जाने के कारण 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही स्थगित कर वाद इस पत्रावली के संलग्न किया गया हैं। पूर्ववर्ती वाद के विचाराधीन रहते पश्चातवर्ती वाद को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती हैं इसलिए वादी को 2000 रू कोस्ट पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी को आगामी पेशी तक वापिस लेने हेतु अवसर दिया गया था। और आदेश दिया गया था कि प्रार्थना पत्र वापिस नहीं लेने की स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया जावेगा। वादी द्वारा दिनांक 07.10.2022 को ही एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1(3)–151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद प्रारूपिक त्रुटि होने के कारण विफल होने की संभावना हैं। इस वाद को प्रत्याहत किए जाने जाने की अनुज्ञा दी जाकर पश्चातवर्ती वाद को दायर रजिस्टर किये जाने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया हैं। प्रतिवादी सं.1 के द्वारा एतराज किया गया हैं एवं निवेदन किया गया हैं कि पूर्व में ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ. 23 नि.1 निस्तारित किया जा चुका हैं, तो नया प्रार्थना पत्र पेश किया जाने का कोई अधिकार नहीं हैं। न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2022 को वादी को प्रार्थना पत्र वापिस लेने हेतु अवसर दिया गया था, परन्तु वादी ने प्रार्थना पत्र वापिस नहीं लिया हैं, जिस कारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में पूर्व में दिनांक 07.10.2022 को प्रा.पत्र अन्तर्गत आ.23नि.1–151 सीपीसी पर पारित आदेश अनुसार वाद वादी विद्ड्रा आधार पर स्वतः ही खारिज हो गया हैं। वादी द्वारा न्यायालय से अनुमति के बिना ही नया वाद पेश कर दिया जिसकी कार्यवाही को स्थगित किया गया हैं अतः वादी द्वारा नया वाद पेश करने की अनुमति [illegible] /अधिकार सुरक्षित रखने की प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं हैं। [illegible] खारिज हो जाने के कारण दिनांक 07.10.2022 को वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] आ. 23 नि. 1(3)–151 सीपीसी पर सुनवाई किये जाने का [illegible] औचित्य एवं आधार नहीं हैं। अतः वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (गुंजन सिंह) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर [Stamp: उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.21 16:34:15 IST
Reason: SelfAttested